

## प्रस्तावित अभिनिर्णय

न्यायालय अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०)/भू०अ०,यूपीडा फिरोजाबाद।

1. भूअर्जन वाद सं० :- 28 /2013/अन्तर्गत धारा-26  
नवीन भूमि अध्याप्ति अधिनियम 30 सन, 2013
2. ग्राम का नाम/तहसील/परगना/जिला :- हरिदासपुर निस्फी/ फिरोजाबाद /फिरोजाबाद।
3. कुल प्रस्तावित/अर्जित क्षेत्रफल :- 17.4658है० अथवा 1,74,658 व.मी.
4. बैनामा द्वारा क्रय की गई भूमि का क्षेत्रफल :- 17.07358है०  
अभिनिर्णय हेतु प्रस्तावित रकबा 0.39222है०
5. अर्जन निकाय का नाम :- उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश  
औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यूपीडा लखनऊ।
6. भूमि अध्याप्ति का प्रयोजन :- जनपद फिरोजाबाद की तहसील फिरोजाबाद के  
ग्राम हरिदासपुर निस्फी में आगरा-लखनऊ प्रवेश  
नियंत्रित(ग्रीनफील्ड) योजना के निर्माण हेतु
7. विज्ञप्ति धारा-4(1)/16 की सं० व दिनांक :-सं० 1135/अ०जि०भू०अ०/आगरा दिनांक 7.10.2013
  - (1) गजट प्रकाशन का दिनांक :- 19.10.2013
  - (2) दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन
    - (i) दैनिक हिन्दुस्तान :- 25.10.2013
    - (ii) दैनिक जागरण :- 25.10.2013
    - (iii) सूचना आम(इस्तहार) दिनांक :- 02.11.2013
8. विज्ञप्ति धारा-6(1)/16 की सं० व दिनांक :- सं० 1920/77- 3-14-386(एम)/14 लखनऊ  
दिनांक 30.10.2014
  - (1) गजट प्रकाशन का दिनांक :- 30.10.2014
  - (2) दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन
    - (i) दैनिक अमर उजाला :- 15.12.2014
    - (ii) दैनिक हिन्दुस्तान :- 15.12.2014
    - (iii) सूचना आम(इस्तहार) दिनांक :- 17.01.2015
9. क्या धारा-17 के प्राविधान लागू हैं  
लागू है । :- नहीं ।
10. क्या भूमि जमींदारी विनाश क्षेत्र में है । :- हाँ ।
11. धारा-9 की सुनवाई की तिथि :- 09.03.2015
12. कब्जा परिवर्तन का दिनांक :- -
13. अभिनिर्णय ( AWARD ) घोषित करने  
की तिथि :-
14. अभिनिर्णित क्षेत्रफल :- 0.39222 है० अथवा 3,922.2 व.मी.
15. अभिनिर्णय की धनराशि
  - (क) कृषि दर पर(सर्किल रेट) :- रू० 12 लाख रू० प्र० हैक्टेअर
  - (ख) बाजारू मूल्य :- रू० 4,70,664.00
  - (ग) बाजारू मूल्य गुणित(2) : रू० 9,41,328.00
  - (घ) सम्पत्ति(वृक्ष बोरिंग) आदि की धनराशि :- रू० 91,939.00
  - (ङ) 100 प्रति० सौलेशियम की धनराशि :- रू० 4,70,664.00
  - (च) 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर :- रू० नियमानुसार देय है।

---

योग कालम (ख+ग+घ+ङ) :- रू० 19,74,595.00

**अभिनिर्णय का औचित्य**

अर्जन निकाय उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण(यूपीडा) लखनऊ" द्वारा तहसील-फिरोजाबाद के ग्राम- हरिदासपुर निस्फी में आगरा लखनऊ प्रवेश नियंत्रित(ग्रीनफील्ड) एक्सप्रेसवे" के निर्माण हेतु 17.4658 हैक्टेअर भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव अपने पत्रसं० 219/यूपीडा/13/192 दिनांक 19.7.2013 के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया था। जॉचोपरान्त प्रस्ताव में नियमानुसार भू-अर्जन की कार्यवाही करते हुए धारा-4(1)/16 की अधिसूचना सं० सं० 1135/अ०जि०भू०अ०/आगरा दिनांक 7.10.2013 को जिला कलैक्टर स्तर से जारी की गई, जिसका उ०प्र० राजकीय गजट में प्रकाशन दिनांक 19.10.2013 तथा अधिसूचना को दो स्थानीय समाचारपत्रों "दैनिक जागरण" व " "हिन्दुस्तान" में प्रकाशन दिनांक 25.10.2013 को हुआ जिसकी मौके पर मुनादी दिनांक 02.11.2013 को कराई गई। तत्पश्चात् धारा-5(क) के अन्तर्गत प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर दिनांक 9.12.2013 नियत की गई। आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् दिनांक 10.12.2013 को आपत्तियों का निस्तारण किया गया।

शासनादेश संख्या-15/एक-13-2014-7क(4)14टीसी लखनऊ दिनांक 14.03.2014 में यह प्राविधानित है कि" जिन प्रकरणों में धारा-4 की अधिसूचना जारी हो गयी है, उनमें 1894 के अधिनियम के अनुसार विहित प्रक्रिया द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही पूरी की जायेगी, किन्तु प्रतिकर का अवधारण नये अधिनियम 2013 की धारा-26 से 30 सपठित (प्रथम अनुसूची) के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा और ऐसे मामलों में पुनर्वासन और पुनर्स्थापना से सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 17.8.2010, 3.09.2010 एवं 02.06.2011 द्वारा अनुमन्य लाभ देय होंगे। चूँकि प्रश्नगत प्रकरण में धारा-4 व धारा-5ए की कार्यवाहियाँ वर्ष 2013 में पूर्ण हो चुकी थीं तथा नवीन अधिनियम 2013 जो दिनांक 01.01.2014 से लागू हुआ है, इसलिए उक्त शासनादेश के अनुक्रम में धारा-6(1)/16 की अधिसूचना सं० 1920/77- 3-14-386(एम)/14 लखनऊ दिनांक 30.10.2014 को शासन स्तर से जारी की गई, जिसका उ०प्र० राजकीय गजट में प्रकाशन दिनांक 30.10.2014 को हुआ तथा अधिसूचना का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों "अमर उजाला व हिन्दुस्तान" में दिनांक 15.12.2014 को हुआ। इसके अतिरिक्त मौके पर सार्वजनिक स्थान पर मुनादी दिनांक 17.01.2015 को चस्पा कराई गई।

भूमि अर्जन से प्रभावित काश्तकारों को धारा-9(1)(3) के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 27.01.2015 को भेजकर उनकी आपत्तियाँ सुनने हेतु दिनांक 09.03.2015 नियत की गई। नियत दिनांक को अर्जन से प्रभावित काश्तकार उपस्थित हुए और उनके द्वारा लिखित रूप में अपनी आपत्तियाँ दाखिल की गई, किन्तु अपनी माँग के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अर्जन हेतु प्रस्तावित कुल 17.4658 है० में से 517.07358 है० भूमि शासनादेश दिनांक 2.9.2013 के तहत सम्बन्धित भूस्वामियों से यूपीडा के पक्ष में द्वारा बैनामा सीधे क्रय की जा चुकी है। अवशेष रकबा 0.39222 है० के भूस्वामियों द्वारा यद्यपि अपनी भूमि यूपीडा के पक्ष में विक्रीत नहीं की गयी हैं, और उनके द्वारा धारा-9 की सुनवाई हेतु पुनः नियत दिनांक 09.03.2015 को लिखित रूप में प्रस्तुत आपत्तियों का विवरण एवं उनकी विवेचना निम्न प्रकार है:-

**1- गाटा संख्या 39 की भूमि के सम्बन्ध में लोचनसिंह नि० ग्राम व पोस अहलदादपुर जिला फिरोजाबाद।**

आपत्तिकर्ता द्वारा अपने आपत्ति प्रार्थनापत्र दिनांक 09.03.2015 में अर्जित भूमि का बैनामा उचित दर पर करने हेतु अपनी सहमति दी गई किन्तु हिस्सा सम्बन्धी विवाद कमीशनरी में विचाराधीन होने के कारण आपत्तिकर्ता अपने हिस्से का बैनामा नहीं कर पा रहा है। चूँकि आपत्तिकर्ता द्वारा अपनी भूमि के मुआवजे की दर के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं की गई है। अतः साक्ष्य के अभाव में आपत्ति/प्रार्थनापत्र निरस्त कर सम्मिलित पत्रावली किया जाता है। भूमि के प्रतिकर का निर्धारण, नवीन भूमि अध्याप्ति अधिनियम सं० 30सन, 2013 एवं उसके परिपेक्ष्य में समय समय पर जारी सुसंगत शासनादेश/परिषदादेशों का पालन करते हुए उचित दर से किया जायेगा तथा अधिग्रहीत भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन नियमानुसार सम्बन्धित विभागों से कराकर मूल्यांकित धनराशि को एवार्ड में सम्मिलित कर स्वामित्व के आधार पर हिस्सानुसार नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

**21- गाटा संख्या 39 की भूमि के सम्बन्ध में महेशचन्द्र नि० ग्राम व पोस अहलदादपुर जिला फिरोजाबाद।**

आपत्तिकर्ता द्वारा अपने आपत्ति प्रार्थनापत्र दिनांक 09.03.2015 में अर्जित भूमि का बैनामा उचित दर पर करने हेतु अपनी सहमति दी गई किन्तु हिस्सा सम्बन्धी विवाद कमीशनरी में विचाराधीन होने के कारण आपत्तिकर्ता अपने हिस्से का बैनामा नहीं कर पा रहा है। चूँकि आपत्तिकर्ता द्वारा अपनी भूमि के मुआवजे की दर के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं की गई है। अतः साक्ष्य के अभाव में आपत्ति/प्रार्थनापत्र निरस्त कर सम्मिलित पत्रावली किया जाता है। भूमि के प्रतिकर का निर्धारण, नवीन भूमि अध्याप्ति अधिनियम सं० 30सन, 2013 एवं उसके परिपेक्ष्य में समय समय पर जारी सुसंगत शासनादेश/परिषदादेशों का पालन करते हुए उचित दर से किया जायेगा तथा अधिग्रहीत भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन नियमानुसार सम्बन्धित विभागों से कराकर मूल्यांकित धनराशि को एवार्ड में सम्मिलित कर स्वामित्व के आधार पर हिस्सानुसार नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

अर्जन हेतु प्रस्तावित कुल 17.4658 है० में से 17.07358 है० भूमि शासनादेश दिनांक 2.9.2013 के तहत सम्बन्धित भूस्वामियों से यूपीडा के पक्ष में द्वारा बैनामा सीधे क्रय की जा चुकी है, जिनका भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में करते हुए भूमि पर कब्जा/दखल प्राप्त किया जा चुका है एवं भूमि राजस्व अभिलेखों में यूपीडा के नाम दर्ज कागजात कराई जा चुकी है। अवशेष 0.39222 है० भूमि के काश्तकारों द्वारा यूपीडा के पक्ष में बैनामा न किये जाने के कारण धारा-26 के अन्तर्गत एवार्ड हेतु प्रस्तावित है। जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्र०	अधिसूचित	कुल	अर्जित	शासनादेश दिनांक	2.9.2013	के	धारा-26	के	तहत	एवार्ड	हेतु
------	----------	-----	--------	-----------------	----------	----	---------	----	-----	--------	------

सं०	खसरा सं०	रकबा(हे०में)	तहत यूपीडा के पक्ष में द्वारा बैनामा क्रय की जा चुकी भूमि रकबा (हे०में०)	अवशेष रकबा (हे०में०)
1	2	3	4	5
1	39	0.3245	0	0.3245
2	41/1	0.0610	0.0610	00
3	41/2	0.0580	0.0580	00
4	41/3	0.1320	0.1320	00
5	43	0.0193	0.0193	00
6	44	0.8670	0.8670	00
7	45	0.1129	0.1129	00
8	46	0.0091	0.0091	00
9	197	0.3750	0.3750	00
10	198	0.2577	0.2577	00
11	199	0.1670	0.1670	00
12	200	0.1670	0.1670	00
13	201	0.1670	0.1670	00
14	202	0.3520	0.3520	00
15	205	0.1980	0.1980	00
16	206	0.1851	0.1851	00
17	207	0.4350	0.4350	00
18	208	0.4010	0.4010	00
19	209	0.0038	0.0038	00
20	210	0.0903	0.0903	00
21	211	.04200	.04200	00
22	217	0.0390	0.0390	00
23	218	0.0400	0.0400	00
24	228	0.4160	0.4160	00
25	229	0.2171	0.2171	00
26	230	0.5169	0.5169	00
27	232	0.6214	0.6214	00
28	233	0.4725	0.4725	00
29	234	0.1020	0.1020	00
30	235	0.5088	0.5088	00
31	239	0.6665	0.6665	00
32	240	1.0660	1.0660	00
33	241	0.0732	0.0732	00
34	242	0.1524	0.08468	0.06772
35	243	0.2481	0.2481	00
36	244	0.0610	0.0610	00
37	258	2.3352	2.3352	00
38	259	0.6394	0.6394	00
39	261	0.9622	0.9622	00
40	262	0.0320	0.0320	00
41	263	0.9158	0.9158	00
42	264	0.1396	0.1396	00
43	265	0.9182	0.9182	00
44	266	0.8535	0.8535	00
45	274	0.1324	0.1324	00
46	277	0.4868	0.4868	00
47	278	0.0143	0.0143	00
48	280	0.1808	0.1808	00
49	281	0.2300	0.2300	00
<b>कुल 49 किता</b>		<b>17.4658</b>	<b>17.07358</b>	<b>0.39222</b>

भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-26 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण या अवधारण करने में कलैक्टर, निम्नलिखित मापदण्ड आपनाएगा,  
अर्थात:-

- (क) उस क्षेत्र में, जहाँ भूमि स्थित है, यथास्थिति, विक्रय विलेख या विक्रय के करार के रजिस्ट्रीकरण के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899(1899 का 2) में विनिर्दिष्ट बाजार मूल्य, यदि कोई हो; या
- (ख) निकटवर्ती ग्राम या निकटवर्ती पड़ोसी क्षेत्र में स्थित उसी प्रकार की भूमि के लिए औसत विक्रय कीमत; या
- (ग) प्राइवेट कम्पनियों के लिए या पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी परियोजना के लिए भूमि के अर्जन के मामले में धारा-2 की उपधारा(2) के अधीन करार पाए गए प्रतिकर की सम्मत रकम, **जो भी अधिक हो**

**स्पष्टीकरण 1-खण्ड(ख) में निर्दिष्ट औसत विक्रय कीमत, उस वर्ष के, जिसमें भूमि का ऐसा अर्जन**

**किया जाना प्रस्तावित है, ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान** निकटवर्ती ग्राम या निकटवर्ती सामीप्य क्षेत्र में उसी प्रकार के क्षेत्र के लिए रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख या विक्रय के करार को ध्यान में रख कर, अवधारित की जाएगी।

**स्पष्टीकरण 2-** स्पष्टीकरण 1 में निर्दिष्ट औसत विक्रय कीमत को अवधारित करने के लिए, ऐसे विक्रय विलेखों या विक्रय करारों की, **जिनमें अधिकतम विक्रय कीमत उल्लिखित है, की कुल संख्या के आधे को विचार में लिया जाएगा।**

**स्पष्टीकरण 3-** इस धारा के अधीन बाजार मूल्य का तथा स्पष्टीकरण 1 या स्पष्टीकरण 2 में निर्दिष्ट औसत विक्रय कीमत का अवधारण करते समय जिले में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अर्जित भूमि के लिए **किसी पूर्ववर्ती अवसर पर प्रतिकर के रूप में संदत्त किसी कीमत को विचार में नहीं लिया जाएगा।**

**स्पष्टीकरण 4-** इस धारा के अधीन बाजार मूल्य का तथा स्पष्टीकरण 1 या स्पष्टीकरण 2 में निर्दिष्ट औसत विक्रय कीमत का अवधारण करते समय ऐसी किसी संदत्त कीमत को, जो कलैक्टर की राय में वस्तुतः विद्यमान बाजार मूल्य प्रतीत नहीं होती है, **बाजार मूल्य की गणना करने के प्रयोजनों के लिए कम किया जा सकेगा।**

(2) उपधारा (1) के अनुसार संगणित बाजार मूल्य को पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट कारक से गुणा किया जायेगा, किन्तु शासनादेश संख्या 797/एक-13-2014-5क(25)/2013टी0सी0 लखनऊ दिनांक 22 अक्टूबर 2014 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में अर्जित की जाने वाली किसी भूमि की दशा में, शहरी क्षेत्र से परियोजना की किसी भी दूरी के होते हुए भी 2.00(दो) को उस कारक से गुणित किया जाना है।

विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि आगरा लखनऊ प्रवेश नियंत्रित(ग्रीनफील्ड) परियोजना के निर्माण हेतु अर्जित भूमि के अभिनिर्णय घोषित करने के सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण(यूपीडा) लखनऊ द्वारा अपने पत्र संख्या 2022/यूपीडा-15/192(08)धारा-6 दिनांक 10 फरवरी, 2015 के माध्यम से अर्जन निकाय/यूपीडा का पक्ष/अभिमत प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नवत है:-

1- भूमि के बाजार मूल्य की गणना की व्यवस्था अधिनियम की धारा-26(क),(ख) एवं (ग) के अन्तर्गत प्रदत्त है। इनमें से धारा-26(ग) निजी कम्पनियों या पब्लिक प्राइवेट सहभागिता वाली परियोजनाओं के लिए लागू है, जो कि वर्तमान परियोजना में लागू नहीं होता है।

अतः आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना के ई0पी0सी0 माध्यम से संचालित होने के कारण परियोजना से सम्बन्धित भूमि के बाजार मूल्य की गणना के लिए उक्त में से धारा-26(क) या (ख) के नियमानुसार की जाए।

2- धारा-26 में उल्लिखित है कि बाजार मूल्य का मूल्यांकन धारा-11 की अधिसूचना की तिथि को आधार मानते हुए की जाए। प्रस्तुत प्रकरण में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अनुसार की जा रही है। अतः उचित होगा कि परियोजना हेतु प्रतिकर के बाजार मूल्य का मूल्यांकन भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-4 की अधिसूचना की तिथि को आधार मानते हुए की जाए।

3- नवीन अधिनियम की धारा'30(3) में निर्दिष्ट है कि धारा-26 के अन्तर्गत बाजार मूल्य के अतिरिक्त बाजार मूल्य के 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ऐसी धनराशि भी प्रदान की जायेगी, जिसकी गणना धारा-4(2) में प्रदत्त सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की अधिसूचना की तिथि से एवार्ड घोषित किये जाने की तिथि तक की अवधि हेतु किया जायेगा।

क्रमशः...5

विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि शासनादेश-271/83-अव0-13-39(अवस्थापना)/1 लखनऊ दिनांक 02 सितम्बर 2013 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुरूप ग्राम **हरदासपुर निस्फी** में अर्जन

निकाय(यूपीडा) के पक्ष में किसानों से सीधे बैनामा कराने के लिए दर निर्धारण हेतु गठित कमेटी की बैठक दिनांक 28.07.2014 को आयोजित की गई। कमेटी द्वारा प्रश्नगत ग्राम में धारा-4 के समय जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट 12 लाख रू0प्र0है0 की 4 गुना दर 48 लाख रू0प्र0है0 पर सहमति व्यक्त करते हुए बैनामा कराने हेतु संस्तुति की गई, उक्त दर का अनुमोदन अर्जन निकाय यूपीडा द्वारा अपने पत्रसं0 638/यूपीडा14/192(02)दिनांक 19 अगस्त 2014 द्वारा किया गया। उक्त दर पर ही आपसी सहमति के आधार पर ग्राम में कुल अर्जित 17.4658है0 भूमि में से रकबा 17.07358है0 (97.75 प्रतिशत) भूमि के भूस्वामियों द्वारा यूपीडा के पक्ष में द्वारा बैनामा, अपनी भूमि विक्रीत की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त यह भी प्रचलित है कि ग्राम में निष्पादित बैनामों की दरें, जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट से कम ही होती हैं, इसलिए सम्भाव्य है कि ग्राम में निष्पादित उच्चतम दर के 50 प्रतिशत बैनामों के औसतन दर की तुलना करने पर प्राप्त दर भी सर्किल रेट से कम ही होगी। चूंकि धारा-4 के समय ग्राम में जारी सर्किल रेट 12 लाख रू0 की 4 गुना 48लाख रू0 प्रति0 हैक्टेअर की दर पर अधिकांशतः किसान बैनामा कर चुके हैं इसलिए यह दर बाजारू दर की द्योतक होने के कारण ग्राम में प्रचलित बाजारू दर को प्रदर्शित करती है। इसलिए नवीन अधिनियम 2013 की धारा-26(क)(ख) एवं उसके परिपेक्ष्य में जारी सुसंगत शासनादेशों एवं परिषदादेशों एवं अर्जन निकाय/यूपीडा द्वारा प्रस्तुत अभिमत के अनुरूप ग्राम सैमरा अतीकाबाद में अर्जित अवशेष भूमि 0.39222है0 के प्रतिकर निर्धारण हेतु धारा-4 के समय जारी सर्किल रेट रू0 12 लाख/प्र0है0 को बाजारू दर के रूप में प्रतिकर निर्धारण हेतु चयनित करता हूँ।

चयनित दर 12 लाख रू0 प्र0है0 की दर से अवशेष अर्जित भूमि 0.39222हैक्टेअर के प्रतिकर की धनराशि का विवरण निम्नप्रकार है:-

**एवार्ड की गई धनराशि का विवरण:-**

(1)	अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	: 0.39222है0
(2)	अर्जित भूमि के प्रतिकर की दर	: 12 लाख रू0 प्र0 है0
(3)	अर्जित भूमि के प्रतिकर की धनराशि,(बजारू मूल्य) कालम(2 X 1):	4,70,664.00
(4)	बाजारू मूल्य कॉलम-4 गुणित 2(दो)	: 9,41,328.00
(5)	अर्जित भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन की धनराशि :	91,939.00
(6)	100 प्रतिशत सोलेशियम की धनराशि कालम 3 पर	: 4,70,664.00

**योग कालमसं0 3+4+5+6**

**:19,74,595.00**

अर्जन के समय ग्राम हरदासपुर निस्फी के खसरासं0 39 पर 1 मकान विद्युत नलकुप, 4आम व 1 बबूल, परिसम्पत्तियाँ स्थित पाई गई, जिनका नियमानुसार सम्बन्धित विभागों से मूल्यांकन कराकर कुल मूल्यांकित धनराशि उपरोक्त अभिनिर्णित धनराशि में सम्मिलित कर ली गई है।

(7)12 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि :- उक्त बाजारू मूल्य की धनराशि पर नियमानुसार अतिरिक्त धनराशि और देय होगी।

(8)पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन के लाभ :- शासनादेश दिनांक 17.8.2010, 3.9.2010 एवं 02.06.2011 के तहत अनुमन्य अतिरिक्त लाभ दिये जायेंगे।

(9)ब्याज की धनराशि :- नियमानुसार ब्याज देय नहीं है, क्योंकि भूमि का कब्जा नहीं दिया गया है।

(10)भूमि अध्याप्ति व्यय:- एवार्ड की गई धनराशि की 10 प्रतिशत धनराशि नियमानुसार अर्जन निकाय से वसूल कर भूअर्जन व्यय के रूप में लेखाशीर्षक 0029 भूराजस्व में नियमानुसार जमा किया जायेगा।

(11)पूँजीकृत मूल्य :- लगान की 150 गुना धनराशि पूँजीकृत मूल्य के रूप में अर्जन निकाय से वसूल कर सम्बन्धित लेखाशीर्षक 0029 भूराजस्व में जमा कराई जायेगी।

शासनादेशसं0272/1-13-2010-7-4(9)/86-114 दिनांक 21.4.2010 में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार 10 करोड़ तक की धनराशि के अभिनिर्णय की जाँच एवं पूर्वानुमोदन जिलाधिकारी द्वारा तथा 10 करोड़ से अधिक की धनराशि के अभिनिर्णय की जाँच एवं पूर्वानुमोदन आयुक्त महोदय के स्तर से किया जाना अपेक्षित होता है। प्रश्नगत ग्राम हरदासपुर निस्फी की अभिनिर्णित धनराशि रू0 19,74,595.00 दस करोड़ से कम है।

( कर्मेन्द्रसिंह )

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)/  
अपर जिलाधिकारी(भू0अ0)यूपीडा  
फिरोजाबाद।

जिलाधिकारी फिरोजाबाद के अनुमोदन दिनांक .....के अनुक्रम में आज दिनांक.....को ग्राम हरदासपुर निस्फी का एवार्ड घोषित कर सम्मिलित पत्रावली किया जाता है।

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)/  
अपर जिलाधिकारी(भू0अ0)यूपीडा  
फिरोजाबाद।

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)/भू0अ0, यूपीडा/जिलाधिकारी फिरोजाबाद।  
महोदय,

अर्जन निकाय उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण(यूपीडा) लखनऊ" द्वारा तहसील-फिरोजाबाद के ग्राम- हरिदासपुर निस्फी में आगरा लखनऊ प्रवेश नियंत्रित(ग्रीनफील्ड) एक्सप्रेसवे" के निर्माण हेतु 17.4658 हैक्टेअर भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव अपने पत्रसं० 219/यूपीडा/13/192 दिनांक 19.7.2013 के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया था। जॉचोपरान्त प्रस्ताव में नियमानुसार भू-अर्जन की कार्यवाही करते हुए धारा-4(1)/16 की अधिसूचना सं० सं० 1135/अ०जि०भू०अ०/आगरा दिनांक 7.10.2013 को जिला कलैक्टर स्तर से जारी की गई, जिसका उ०प्र० राजकीय गजट में प्रकाशन दिनांक 19.10.2013 तथा अधिसूचना को दो स्थानीय समाचारपत्रों "दैनिक जागरण" व " "हिन्दुस्तान" में प्रकाशन दिनांक 25.10.2013 को हुआ जिसकी मौके पर मुनादी दिनांक 02.11.2013 को कराई गई। तत्पश्चात् धारा-5(क) के अन्तर्गत प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर दिनांक 9.12.2013 नियत की गई। आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् दिनांक 10.12.2013 को आपत्तियों का निस्तारण किया गया।

शासनादेश संख्या-15/एक-13-2014-7क(4)14टीसी लखनऊ दिनांक 14.03.2014 में यह प्राविधानित है कि" जिन प्रकरणों में धारा-4 की अधिसूचना जारी हो गयी है, उनमें 1894 के अधिनियम के अनुसार विहित प्रक्रिया द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही पूरी की जायेगी, किन्तु प्रतिकर का अवधारण नये अधिनियम 2013 की धारा-26 से 30 सपठित (प्रथम अनुसूची) के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा और ऐसे मामलों में पुनर्वासन और पुनर्स्थापना से सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 17.8.2010, 3.09.2010 एवं 02.06.2011 द्वारा अनुमन्य लाभ देय होंगे। चूँकि प्रश्नगत प्रकरण में धारा-4 व धारा-5ए की कार्यवाहियाँ वर्ष 2013 में पूर्ण हो चुकी थीं तथा नवीन अधिनियम 2013 जो दिनांक 01.01.2014 से लागू हुआ है, इसलिए उक्त शासनादेश के अनुक्रम में धारा-6(1)/16 की अधिसूचना सं० 1920/77- 3-14-386(एम)/14 लखनऊ दिनांक 30.10.2014 को शासन स्तर से जारी की गई, जिसका उ०प्र० राजकीय गजट में प्रकाशन दिनांक 30.10.2014 को हुआ तथा अधिसूचना का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों "अमर उजाला व हिन्दुस्तान" में दिनांक 15.12.2014 को हुआ। इसके अतिरिक्त मौके पर सार्वजनिक स्थान पर मुनादी दिनांक 17.01.2015 को चस्पा कराई गई।

भूमि अर्जन से प्रभावित काश्तकारों को धारा-9(1)(3) के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 27.01.2015 को भेजकर उनकी आपत्तियाँ सुनने हेतु दिनांक 09.03.2015 नियत की गई। नियत दिनांक को अर्जन से प्रभावित काश्तकार उपस्थित हुए और उनके द्वारा लिखित रूप में अपनी आपत्तियाँ दाखिल की गई, किन्तु अपनी माँग के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अर्जन हेतु प्रस्तावित कुल 17.4658 है० में से 517.07358 है० भूमि शासनादेश दिनांक 2.9.2013 के तहत सम्बन्धित भूस्वामियों से यूपीडा के पक्ष में द्वारा बैनामा सीधे क्रय की जा चुकी है। अवशेष रकबा 0.39222 है० के भूस्वामियों द्वारा यद्यपि अपनी भूमि यूपीडा के पक्ष में विक्रीत नहीं की गयी है, और उनके द्वारा धारा-9 की सुनवाई हेतु पुनः नियत दिनांक 09.03.2015 को लिखित रूप में प्रस्तुत आपत्तियों का विवरण एवं उनकी विवेचना निम्न प्रकार है:-

1- गाटा संख्या 39 की भूमि के सम्बन्ध में लोचनसिंह नि० ग्राम व पोस अहलदादपुर जिला फिरोजाबाद।

आपत्तिकर्ता द्वारा अपने आपत्ति प्रार्थनापत्र दिनांक 09.03.2015 में अर्जित भूमि का बैनामा उचित दर पर करने हेतु अपनी सहमति दी गई किन्तु हिस्सा सम्बन्धी विवाद कमीशनरी में विचाराधीन होने के कारण आपत्तिकर्ता अपने हिस्से का बैनामा नहीं कर पा रहा है। चूँकि आपत्तिकर्ता द्वारा अपनी भूमि के मुआवजे की दर के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं की गई है। अतः साक्ष्य के अभाव में आपत्ति/प्रार्थनापत्र निरस्त कर सम्मलित पत्रावली किया जाता है। भूमि के प्रतिकर का निर्धारण, नवीन भूमि अध्याप्ति अधिनियम सं० 30सन, 2013 एवं उसके परिपेक्ष्य में समय समय पर जारी सुसंगत शासनादेश/परिषदादेशों का पालन करते हुए उचित दर से किया जायेगा तथा अधिग्रहीत भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन नियमानुसार सम्बन्धित विभागों से कराकर मूल्यांकित धनराशि को एवार्ड में सम्मलित कर स्वामित्व के आधार पर हिस्सानुसार नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

21- गाटा संख्या 39 की भूमि के सम्बन्ध में महेशचन्द्र नि० ग्राम व पोस अहलदादपुर जिला फिरोजाबाद।

आपत्तिकर्ता द्वारा अपने आपत्ति प्रार्थनापत्र दिनांक 09.03.2015 में अर्जित भूमि का बैनामा उचित दर पर करने हेतु अपनी सहमति दी गई किन्तु हिस्सा सम्बन्धी विवाद कमीशनरी में विचाराधीन होने के कारण आपत्तिकर्ता अपने हिस्से का बैनामा नहीं कर पा रहा है। चूँकि आपत्तिकर्ता द्वारा अपनी भूमि के मुआवजे की दर के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं की गई है। अतः साक्ष्य के अभाव में आपत्ति/प्रार्थनापत्र निरस्त कर सम्मलित पत्रावली किया जाता है। भूमि के प्रतिकर का निर्धारण, नवीन भूमि अध्याप्ति अधिनियम सं० 30सन, 2013 एवं उसके परिपेक्ष्य में समय समय पर जारी सुसंगत शासनादेश/परिषदादेशों का पालन करते हुए उचित दर से किया जायेगा तथा अधिग्रहीत भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन नियमानुसार सम्बन्धित विभागों से कराकर मूल्यांकित धनराशि को एवार्ड में सम्मलित कर स्वामित्व के आधार पर हिस्सानुसार नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

अर्जन हेतु प्रस्तावित कुल 17.4658 है० में से 17.07358 है० भूमि शासनादेश दिनांक 2.9.2013 के तहत सम्बन्धित भूस्वामियों से यूपीडा के पक्ष में द्वारा बैनामा सीधे क्रय की जा चुकी है, जिनका भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में करते हुए भूमि पर कब्जा/दखल प्राप्त किया जा चुका है एवं भूमि राजस्व अभिलेखों में यूपीडा के नाम दर्ज कागजात कराई जा चुकी है। अवशेष 0.39222 है० भूमि के काश्तकारों द्वारा यूपीडा के पक्ष में बैनामा न किये जाने के कारण धारा-26 के अन्तर्गत एवार्ड हेतु प्रस्तावित है। जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्रमशः...2

क्र० सं०	अधिसूचित खसरा सं०	कुल अर्जित रकबा(है०में)	शासनादेश दिनांक 2.9.2013 के तहत यूपीडा के पक्ष में द्वारा बैनामा क्रय की जा चुकी भूमि रकबा	धारा-26 के तहत एवार्ड हेतु अवशेष रकबा (है०में०)
----------	-------------------	-------------------------	--	---

1	2	3	(है०में०)	4	5
1	39	0.3245		0	0.3245
2	41/1	0.0610		0.0610	00
3	41/2	0.0580		0.0580	00
4	41/3	0.1320		0.1320	00
5	43	0.0193		0.0193	00
6	44	0.8670		0.8670	00
7	45	0.1129		0.1129	00
8	46	0.0091		0.0091	00
9	197	0.3750		0.3750	00
10	198	0.2577		0.2577	00
11	199	0.1670		0.1670	00
12	200	0.1670		0.1670	00
13	201	0.1670		0.1670	00
14	202	0.3520		0.3520	00
15	205	0.1980		0.1980	00
16	206	0.1851		0.1851	00
17	207	0.4350		0.4350	00
18	208	0.4010		0.4010	00
19	209	0.0038		0.0038	00
20	210	0.0903		0.0903	00
21	211	.04200		.04200	00
22	217	0.0390		0.0390	00
23	218	0.0400		0.0400	00
24	228	0.4160		0.4160	00
25	229	0.2171		0.2171	00
26	230	0.5169		0.5169	00
27	232	0.6214		0.6214	00
28	233	0.4725		0.4725	00
29	234	0.1020		0.1020	00
30	235	0.5088		0.5088	00
31	239	0.6665		0.6665	00
32	240	1.0660		1.0660	00
33	241	0.0732		0.0732	00
34	242	0.1524		0.08468	0.06772
35	243	0.2481		0.2481	00
36	244	0.0610		0.0610	00
37	258	2.3352		2.3352	00
38	259	0.6394		0.6394	00
39	261	0.9622		0.9622	00
40	262	0.0320		0.0320	00
41	263	0.9158		0.9158	00
42	264	0.1396		0.1396	00
43	265	0.9182		0.9182	00
44	266	0.8535		0.8535	00
45	274	0.1324		0.1324	00
46	277	0.4868		0.4868	00
47	278	0.0143		0.0143	00
48	280	0.1808		0.1808	00
49	281	0.2300		0.2300	00
<b>कुल 49 किता</b>		<b>17.4658</b>		<b>17.07358</b>	<b>0.39222</b>

भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-26 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण या अवधारण करने में कलैक्टर, निम्नलिखित मापदण्ड आपनाएगा,

अर्थात:-

- (क) उस क्षेत्र में, जहाँ भूमि स्थित है, यथास्थिति, विक्रय विलेख या विक्रय के करार के रजिस्ट्रीकरण के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899(1899 का 2) में विनिर्दिष्ट बाजार मूल्य, यदि कोई हो; या
- (ख) निकटवर्ती ग्राम या निकटवर्ती पड़ोसी क्षेत्र में स्थित उसी प्रकार की भूमि के लिए औसत विक्रय कीमत; या
- (ग) प्राइवेट कम्पनियों के लिए या पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी परियोजना के लिए भूमि के अर्जन के मामले में धारा-2 की उपधारा(2) के अधीन करार पाए गए प्रतिकर की सम्मत रकम, **जो भी अधिक हो**

**स्पष्टीकरण 1-खण्ड(ख) में निर्दिष्ट औसत विक्रय कीमत, उस वर्ष के, जिसमें भूमि का ऐसा अर्जन**

**किया जाना प्रस्तावित है, ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान निकटवर्ती ग्राम या निकटवर्ती सामीप्य क्षेत्र में उसी प्रकार के क्षेत्र के लिए रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख या विक्रय के करार को ध्यान में रख कर, अवधारित की जाएगी।**

**स्पष्टीकरण 2-** स्पष्टीकरण 1 में निर्दिष्ट औसत विक्रय कीमत को अवधारित करने के लिए, ऐसे विक्रय विलेखों या विक्रय करारों की, **जिनमें अधिकतम विक्रय कीमत उल्लिखित है, की कुल संख्या के आधे को विचार में लिया जाएगा।**

**स्पष्टीकरण 3-** इस धारा के अधीन बाजार मूल्य का तथा स्पष्टीकरण 1 या स्पष्टीकरण 2 में निर्दिष्ट औसत विक्रय कीमत का अवधारण करते समय जिले में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अर्जित भूमि के लिए **किसी पूर्ववर्ती अवसर पर प्रतिकर के रूप में संदत्त किसी कीमत को विचार में नहीं लिया जाएगा।**

**स्पष्टीकरण 4-** इस धारा के अधीन बाजार मूल्य का तथा स्पष्टीकरण 1 या स्पष्टीकरण 2 में निर्दिष्ट औसत विक्रय कीमत का अवधारण करते समय ऐसी किसी संदत्त कीमत को, जो कलैक्टर की राय में वस्तुतः विद्यमान बाजार मूल्य प्रतीत नहीं होती है, **बाजार मूल्य की गणना करने के प्रयोजनों के लिए कम किया जा सकेगा।**

(2) उपधारा (1) के अनुसार संगणित बाजार मूल्य को पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट कारक से गुणा किया जायेगा, किन्तु शासनादेश संख्या 797/एक-13-2014-5क(25)/2013टी0सी0 लखनऊ दिनांक 22 अक्टूबर 2014 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में अर्जित की जाने वाली किसी भूमि की दशा में, शहरी क्षेत्र से परियोजना की किसी भी दूरी के होते हुए भी 2.00(दो) को उस कारक से गुणित किया जाना है।

विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि आगरा लखनऊ प्रवेश नियंत्रित(ग्रीनफील्ड) परियोजना के निर्माण हेतु अर्जित भूमि के अभिनिर्णय घोषित करने के सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण(यूपीडा) लखनऊ द्वारा अपने पत्र संख्या 2022/यूपीडा-15/192(08)धारा-6 दिनांक 10 फरवरी, 2015 के माध्यम से अर्जन निकाय/यूपीडा का पक्ष/अभिमत प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नवत है:-

1- भूमि के बाजार मूल्य की गणना की व्यवस्था अधिनियम की धारा-26(क),(ख) एवं (ग) के अन्तर्गत प्रदत्त है। इनमें से धारा-26(ग) निजी कम्पनियों या पब्लिक प्राइवेट सहभागिता वाली परियोजनाओं के लिए लागू है, जो कि वर्तमान परियोजना में लागू नहीं होता है।

अतः आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना के ई0पी0सी0 माध्यम से संचालित होने के कारण परियोजना से सम्बन्धित भूमि के बाजार मूल्य की गणना के लिए उक्त में से धारा-26(क) या (ख) के नियमानुसार की जाए।

2- धारा-26 में उल्लिखित है कि बाजार मूल्य का मूल्यांकन धारा-11 की अधिसूचना की तिथि को आधार मानते हुए की जाए। प्रस्तुत प्रकरण में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अनुसार की जा रही है। अतः उचित होगा कि परियोजना हेतु प्रतिकर के बाजार मूल्य का मूल्यांकन भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-4 की अधिसूचना की तिथि को आधार मानते हुए की जाए।

3- नवीन अधिनियम की धारा'30(3) में निर्दिष्ट है कि धारा-26 के अन्तर्गत बाजार मूल्य के अतिरिक्त बाजार मूल्य के 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ऐसी धनराशि भी प्रदान की जायेगी, जिसकी गणना धारा-4(2) में प्रदत्त सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की अधिसूचना की तिथि से एवार्ड घोषित किये जाने की तिथि तक की अवधि हेतु किया जायेगा।

क्रमशः...4

निकाय(यूपीडा) के पक्ष में किसानों से सीधे बैनामा कराने के लिए दर निर्धारण हेतु गठित कमेटी की बैठक दिनांक 28.07.2014 को आयोजित की गई। कमेटी द्वारा प्रश्नगत ग्राम में धारा-4 के समय जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट 12 लाख रू0प्र0है0 की 4 गुना दर 48 लाख रू0प्र0है0 पर सहमति व्यक्त करते हुए बैनामा कराने हेतु संस्तुति की गई, उक्त दर का अनुमोदन अर्जन निकाय यूपीडा द्वारा अपने पत्रसं0 638/यूपीडा14/192(02)दिनांक 19 अगस्त 2014 द्वारा किया गया। उक्त दर पर ही आपसी सहमति के आधार पर ग्राम में कुल अर्जित 17.4658है0 भूमि में से रकबा 17.07358है0 (97.75 प्रतिशत) भूमि के भूस्वामियों द्वारा यूपीडा के पक्ष में द्वारा बैनामा, अपनी भूमि विक्रीत की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त यह भी प्रचलित है कि ग्राम में निष्पादित बैनामों की दरें, जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट से कम ही होती हैं, इसलिए सम्भाव्य है कि ग्राम में निष्पादित उच्चतम दर के 50 प्रतिशत बैनामों के औसतन दर की तुलना करने पर प्राप्त दर भी सर्किल रेट से कम ही होगी। चूँकि धारा-4 के समय ग्राम में जारी सर्किल रेट 12 लाख रू0 की 4 गुना 48लाख रू0 प्रति0 हैक्टेअर की दर पर अधिकांशतः किसान बैनामा कर चुके हैं इसलिए यह दर बाजारू दर की द्योतक होने के कारण ग्राम में प्रचलित बाजारू दर को प्रदर्शित करती है। इसलिए नवीन अधिनियम 2013 की धारा-26(क)(ख) एवं उसके परिपेक्ष्य में जारी सुसंगत शासनादेशों एवं परिषदादेशों एवं अर्जन निकाय/यूपीडा द्वारा प्रस्तुत अभिमत के अनुरूप ग्राम सैमरा अतीकाबाद में अर्जित अवशेष भूमि 0.39222है0 के प्रतिकर निर्धारण हेतु धारा-4 के समय जारी सर्किल रेट रू0 12 लाख/प्र0है0 को बाजारू दर के रूप में प्रतिकर निर्धारण हेतु चयनित करता हूँ।

चयनित दर 12 लाख रू0 प्र0है0 की दर से अवशेष अर्जित भूमि 0.39222हैक्टेअर के प्रतिकर की धनराशि का विवरण निम्नप्रकार है:-

एवार्ड की गई धनराशि का विवरण:-

(1)	अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	: 0.39222है0
(2)	अर्जित भूमि के प्रतिकर की दर	: 12 लाख रू0 प्र0 है0
(3)	अर्जित भूमि के प्रतिकर की धनराशि,(बजारू मूल्य) कालम(2 X 1):	4,70,664.00
(4)	बाजारू मूल्य कॉलम-4 गुणित 2(दो)	: 9,41,328.00
(5)	अर्जित भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन की धनराशि :	91,939.00
(6)	100 प्रतिशत सोलेशियम की धनराशि कालम 3 पर	: 4,70,664.00

योग कालमसं0 3+4+5+6

:19,74,595.00

अर्जन के समय ग्राम हरदासपुर निस्फी के खसरासं0 39 पर 1 मकान विद्युत नलकुप, 4आम व 1 बबूल, परिसम्पत्तियाँ स्थित पाई गई, जिनका नियमानुसार सम्बन्धित विभागों से मूल्यांकन कराकर कुल मूल्यांकित धनराशि उपरोक्त अभिनिर्णित धनराशि में सम्मिलित कर ली गई है।

(7)12 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि :- उक्त बाजारू मूल्य की धनराशि पर नियमानुसार अतिरिक्त धनराशि और देय होगी।

(8)पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन के लाभ :- शासनादेश दिनांक 17.8.2010, 3.9.2010 एवं 02.06.2011 के तहत अनुमन्य अतिरिक्त लाभ दिये जायेंगे।

(9)ब्याज की धनराशि :- नियमानुसार ब्याज देय नहीं है, क्योंकि भूमि का कब्जा नहीं दिया गया है।

(10)भूमि अध्याप्ति व्यय:- एवार्ड की गई धनराशि की 10 प्रतिशत धनराशि नियमानुसार अर्जन निकाय से वसूल कर भूअर्जन व्यय के रूप में लेखाशीर्षक 0029 भूराजस्व में नियमानुसार जमा किया जायेगा।

(11)पूँजीकृत मूल्य :- लगान की 150 गुना धनराशि पूँजीकृत मूल्य के रूप में अर्जन निकाय से वसूल कर सम्बन्धित लेखाशीर्षक 0029 भूराजस्व में जमा कराई जायेगी।

शासनादेशसं0272/1-13-2010-7-4(9)/86-114 दिनांक 21.4.2010 में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार 10 करोड़ तक की धनराशि के अभिनिर्णय की जाँच एवं पूर्वानुमोदन जिलाधिकारी द्वारा तथा 10 करोड़ से अधिक की धनराशि के अभिनिर्णय की जाँच एवं पूर्वानुमोदन आयुक्त महोदय के स्तर से किया जाना अपेक्षित होता है। प्रश्नगत ग्राम हरदासपुर निस्फी की अभिनिर्णित धनराशि रू0 19,74,595.00 दस करोड़ से कम है।

अतः महोदय सहमत हों तो ग्राम हरदासपुर निस्फी की अभिनिर्णित धनराशि रू0 19,74,595.00 पैसे की जाँच एवं पूर्वानुमोदन हेतु जिलाधिकारी महोदय को सुस्तुति करना चाहें।

( अनिल कुमार )  
अहलमद

(कर्मन्द्रसिंह )  
अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)/  
अपर जिलाधिकारी(भू0अ0)  
यूपीडा, फिरोजाबाद।

